प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



भारतीय रिज़र्व बैंक

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi Website : www.rbi.org.in ई-मेल/email : <u>helpdoc@rbi.org.in</u>



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,

Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

17 जनवरी 2023

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2469/12-07-005/2022-23 के माध्यम से रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 18 जुलाई 2022 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा था।

- 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश 17 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.D-58/12.22.210/2022-23 के अनुसार बैंक पर 18 अप्रैल 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।
- 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता अविध को सूचित करने वाले 17 जनवरी 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।
- 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

(योगेश दयाल)

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1565 मुख्य महाप्रबंधक